विशेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 92/2022

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र बद्री जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33 शाहपुरा तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. घासीराम पुत्र रामदेव?
2. रामचन्द्र पुत्र भेरू
समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33 शाहपुरा तहसील शाहपुरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांकः 16.11.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 2951, 2952, 2957, 3000, 3020, 3059, 3068, 5824/3033, 5826/3033, 5828/2994, 5830/2995, 5831/3034 कुल किता 12 रकबा 1.6350 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/सीमा/ 2022/ 42 दिनांक 25.5.2022 की पालना में दिनांक 23.6.2022 को पटवारी हल्का शाहपुरा के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 23.6.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना को कोई उपस्थित नहीं आये । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 23.6.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 2951, 2952, 2957, 3000, 3020, 3059, 3068, 5824/3033, 5826/3033, 5828/2994, 5830/2995, 5831/3034 कुल किता 12 रकबा 1.6350 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान